अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/558

1. महादेव आयु 25 वर्ष आत्मज शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. महावीर आयु 20 वर्ष आत्मज शंकर जाति मीणा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. दुर्गाबाई आयु 40 वर्ष पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. मनभर आयु 35 वर्ष पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. सन्नी बाई आयु 30 वर्ष पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. गंगाबाई बेवा शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राजय द्वारा श्रीमान् जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली ।
3. ग्राम पंचायत बडोदिया तहसील हिण्डोली द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग, कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 30/दावा/2011

शंकर आत्मज श्री लाखा जाति मीणा आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राजय द्वारा श्रीमान् जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली ।
3. ग्राम पंचायत बडोदिया तहसील हिण्डोली द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग, कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 09.10.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 09.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

9/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/558

1. महादेव आयु 25 वर्ष आत्मज शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. महावीर आयु 20 वर्ष आत्मज शंकर जाति मीणा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. दुर्गाबाई आयु 40 वर्ष पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. मनभर आयु 35 वर्ष पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. सन्नी बाई आयु 30 वर्ष पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. गंगाबाई बेवा शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम त्रिशूल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राजय द्वारा श्रीमान् जिलाधीश महोदय, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली ।
3. ग्राम पंचायत बडोदिया तहसील हिण्डोली द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक शंकर ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि राज्य सरकार द्वारा वादी के पिता को सन् 1965 में आवंटित की गई और आवंटन के समय वादी के पिता को कब्जा दिया गया था । वादी के पिता ने आवंटन शर्तो की पालना करते हुए आवंटन की राशि जमा करवायी । वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी के द्वारा आवंटन की समस्त बकाया राशि जमा करवायी गई । आवंटन की सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण हो गयी हैं । आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् कानूनी रूप से आवंटी खातेदार बन जाते हैं । सन् 1987 में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को उक्त आराजी पर खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया था लेकिन तहसीलदार हिण्डोली के आदेश पर सम्बन्धित पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में कोई इन्द्राज नहीं किया । भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना किसी आधार पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वादी के पिता को आवंटित भूमि को सिवायचक का इन्द्राज समाप्त करके चारागाह अंकित किया गया है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । उक्त भूमि चारागाह अंकित हो जाने से राज्य सरकार की ओर से बेदखली के नोटिस वादी को आते हैं जिनका जवाब वादी द्वारा दिया गया है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 393 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 395 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 396 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 397 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 398 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से चारागाह के अंकन को निरस्त फरमाया जावे । प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी मृतक शंकर के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित किया है । लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है। सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पत्रावली में दिनांक 27.06.2014 से पेशी कायमी तनकीयात में नियत थी । अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम कर तनकी पर साक्ष्य ली जानी चाहिए थी लेकिन तनकी की स्टेज पर वाद में साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय करके कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि खसरा नम्बर 210 कुल रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा में से 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि सन् 1965 में आवंटित की गई थी । आवंटन के समय से ही आवंटी लाखा काबिज काश्त करता रहा उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर काबिज रहा दिनांक 08.09.2015 को शंकर की मृत्यु हो गयी । अपीलान्ट मृतक शंकर के वारिस हैं जो वर्तमान में उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । आवंटी लाखा ने आवंटन की शर्तो अनुसार सम्पूर्ण जमा कर दी थी फिर भी उनको खातेदार दर्ज नहीं किया गया और इसे चारागाह दर्ज कर दिया गया । वादी ने हक घोषणा का दावा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है, पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी चारागाह भूमि है जिस पर किसी को खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.07.2015 बहाल रखा जावे।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा में से 15 बीघा 07 बिस्वा आराजी के लिए हक घोषणा का दावा पेश किया है और उनके द्वारा यह कथन किया गया है वादग्रस्त आराजी उन्हें आवंटित हुई थी उसे उपरान्त इसको सिवाय चक चारागाह दर्ज किया गया है । उनके द्वारा यह भी कथन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 210 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 395 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 396 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 397 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 398 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कायम किये गये हैं । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 के अनुसार यह आराजी सरकार के खाते में चारागाह के रूप में दर्ज है । चारागाह भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। वादग्रस्त आराजी चारागाह भूमि है और वादी के द्वारा ऐसी कोई नकल जमाबन्दी पेश नहीं की गई है जिसके अनुसार यह आराजी उनके गैर खातेदारी में दर्ज रही हो । साबिक खसरा नम्बर 210 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा की पेश की गई नकल जमाबन्दी संवत् 2013–16 के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकार के खाते में दर्ज है और संवत् 2017–20 के अनुसार चारागाह पंचायत बडोदिया के खाते में दर्ज है । इसी प्रकार संवत् 2021–24 की नकल जमाबन्दी के अनुसार भी आराजी चारागाह दर्ज है ।

10. पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सेटलमेंट से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 210 रकबा 22 बीघ 07 बिस्वा भूमि चारागाह दर्ज थी । चारागाह भूमि पर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इस प्रकार दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा